



CNR No. UPME190001662024

न्यायालय – वाणिज्यिक न्यायालय, कक्ष सं० 2, मेरठ।

वाद सं० 81 सन 2024

एच०डी०एफ०सी० बैंक प्रति आदेश कुमार

29.05.2026

पेश हुआ। अनेक बार पुकार करायी गयी।

पुकार पर आज भी वादी एवं उनके विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित हैं और स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

पत्रावली के परिशीलन से परिलक्षित हो रहा है कि वादी की तरफ से विगत कई तिथियों से पैरवी नहीं की जा रही है और न ही आज उपस्थित है। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त वाद को जारी रखने में उनकी अभिरुचि नहीं है।

अतएव उक्त वाद तदनुसार निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

उपर्युक्तानुसार प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति एवं अनवरत रूप से पैरवी न किये जाने के अभाव में निरस्त किया जाता है।

पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के पश्चात् विधिनुसार अभिलेखागार को संचित हो।

(अशोक कुमार)

पीठासीन अधिकारी,

वाणिज्यिक न्यायालय, न्यायालय सं० 2,
मेरठ।

जे०ओ०नं०-यू०पी०-5988